कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी) की बैठक सं0 42/2000 दिनांक 27-4-2000 को सायं 4·00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री सुरेश चन्द गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) बीपीसी-II(सीपीसी) की बैठक सं0 40/2000 दिनांक 22-4-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु ।

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(2) बीपीसी-II(सीपीसी) की बैठक सं0 41/2000 दिनांक 24-4-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु ।

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(3) एजेण्डा आईटमस्

3·1- एजेण्डा सं0 42/2000-1 :- श्री नारायण मीणा, पदेन सचिव, महारानी लक्ष्मीबाई बालिका विद्यालय की खसरा नं0 1088 की रकबा 10 बिस्वा भूमि राजस्व ग्राम बस्सी का विद्यालय निर्माण हेतु भू-उपयोग उपान्तरण बाबत :-

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा एवं सदस्य सचिव द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर ग्राम बस्सी के खसरा नं0 1088 की 10 बिस्वा भूमि का भू उपयोग मास्टर प्लान में दर्शाये गये भू उपयोग "पब्लिक यूटिलिटी" से"पब्लिक एवं सैमी पब्लिक" (बालिका विद्यालय हेतु) उपान्तरित करने का निर्णय लिया गया ।

····2

114

मौके पर प्रस्तावित भूमि एवं रास्ते के बीच जो अगवार है तथा जो स्कूल के स्वामित्व में ही है वह भूमि प्रार्थी को 80 फिट चौड़ी सड़क के लिए निःशुल्क समर्पित करनी होगी ।

§4§ विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

4·1- एजेण्डा सं0 42/2000-2 :- मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं0 8 §जोन बी-1§ :-

उपायुक्त, बी-1 ने बताया कि योजना के अनुमोदित प्लान का मौके पर सर्वे कराया गया तो योजना के भूखण्डों के अनुमोदित आकार और क्षेत्रफल में तथा मौके पर उपलब्ध आकार और क्षेत्रफल में अंतर है परन्तु योजना का रोड़ स्ट्रक्चर पूर्व अनुमोदित मानचित्र के अनुसार है ।

बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि सड़कों की चौड़ाई को अनुमोदित प्लान के अनुसार सुनिश्चित करते हुए अनुमोदित प्लाट एरिया में भूखण्ड सं0 1 से 143 का सर्वे के अनुसार डायमेंशंस और क्षेत्रफल अनुमोदित प्लान में दर्ज कर दिया जाये और तदनुसार पट्टे जारी कर दिये जाये ।

सहायक नगर नियोजक, बी-1, 28-29 अप्रैल को आयोजित हो रहे नियमन शिविर के तुरन्त पश्चात् योजना का संशोधित प्लान समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे ।

4·2- एजेण्डा सं0 42/2000-3 :- महाराजा गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं0 2 §जोन बी-2 §:-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक टिप्पणी का समिति द्वारा अवलोकन किया गया । उनके द्वारा बताया गया कि उक्त योजना की स्वीकृति बीपीसी की बैठक दिनांक 17-8-84 में दी गयी थी । रिकार्ड में जो योजना का स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध है उसमे भूखण्ड सं0 39, 40, 41 एवं 42 सुविधा क्षेत्र में दर्शाये गये है परन्तु प्रार्थी श्री रामलाल परिहार द्वारा भी स्वीकृत मानचित्र की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है उसमे भूखण्ड सं0 39, 40, 41 व 42 को आवासीय उपयोग में ही दर्शाया गया है । प्रार्थी श्री परिहार को भी समिति द्वारा सुना गया । बीपीसी की बैठक दिनांक 17-8-8

...3

के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया । जिसके एजेण्डा सं0 31•4 में निम्न निर्णय उल्लेखित है,

"द्वितीय स्तर भवन मानचित्र जांच समिति की 27 वीं बैठक में दिनांक 26-6-84 को लिए गए निर्णय के अनुसार तीन निर्मित योजनाओं में बिके हुए प्लाटों का पूर्ण सत्यापन एवं प्रमाणीकरण उपायुक्त (सहकारिता) से प्राप्त हो गये हैं । समिति के समक्ष-3 योजनाएं तथा प्राप्त तथ्य प्रस्तुत किये गये । बैठक में विचार-विमर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया कि इन योजनाओं में 15 प्रतिशत सुविधाओं हेतु भूमि न ली जाकर अनुमोदन कर दिया जाये । ये योजनाएं निम्न प्रकार से है :-

सैक्टर-7	न्यूपिंक सिटी	हरी मार्ग
सैक्टर-7	सिविल लाइंस	सिविल लाइंस
सैक्टर-25	महाराज गोपालपुरा	स्कीम नं0 2

समिति द्वारा बाद विचारविमर्श निर्णय लिया गया कि पूर्व बैठक दिनांक 17-8-84 के निर्णय के अनुसार भूखण्ड सं0 39,40,41 व 42 को आवासीय उपयोग के लिए अनुमोदित माना जाये व सही प्लान रिकार्ड पर रखा जाए।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: एफ-11(14)जविप्रा/वनि/सीपी/42/2000 डी. 201
दिनांक : 29.4.2000

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक(आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी)जविप्रा,जयपुर ।
4- अति0 आयुक्त(भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा, जयपुर ।
5- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन बी-1 व बी-2, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव
बीपीसी-11 (सीपीसी)